

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-270/2019

1. गगनदीप सिंह पुत्र कुलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़। वादी


बनाम्

- 1. कलवंतसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
- 2. कर्मजीत कौर पत्नी कुलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
- 3. किरणदीपकौर पुत्री कुलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामड़िया तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील वादी नरेन्द्रपाल वर्मा मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चकनं 12 एफटीपी बी ज0सं 2075 ता 78 के खाता सं 118/12 में कुल 2.530 है 0 मय गै 0 मु 0 नहरी कृषि भूमि के संयुक्त खाता में प्रतिवादी सं 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीया सं 2 का 1/4 हिस्सा भूमि का वादी गगनदीप सिंह को खातेदार काश्तकार म्पेष्ठित किया जाकर चकनं 12 एफटीपी बी ज0सं 2075 ता 78 के खाता सं 118/12 में से प्रतिवादीगण सं 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

अदा करें।
वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19/9/19 को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
पदम सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी